क्रम-संख्या-283(क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी० / एल०-डब्लू० / एन०पी०-91 / 2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शनिवार, 3 अक्टूबर, 2015

आश्विन 11, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग—9

संख्या 2703 / एक-9—2015-28एलसी-2005

लखनऊ, 3 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०—62

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 4 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3) लेखपालों का संवर्ग जिलावार होगा और जिलावार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा :	(3) लेखपालों का संवर्ग मण्डलवार होगा और मण्डलवार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा:
परन्तु–	परन्तु यह कि–
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या	(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।	(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु 10–सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेन्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :	**आयु** 10–सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेन्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।	परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

नियम 19 का प्रतिस्थापन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिवीक्षा 19– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।	**परिवीक्षा** 19– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:	(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी।	
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।	(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी, उपनियम (2) के अधीन सेवायें समाप्त कर दी जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।	

नियम 21 का प्रतिस्थान

5–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ज्येष्ठता 21–सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।	**ज्येष्ठता** 21–सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी एवं सम्बन्धित मंडलायुक्त संवर्ग की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

नियम 24 का प्रतिस्थापन

6—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
स्थानान्तरण 24—(1) जिला का कलेक्टर अपने विवेक से जिला के भीतर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, एक परगना से दूसरे परगना को कर सकता है और किसी परगना का प्रभारी सहायक कलेक्टर परगना के भीतर, किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, एक हल्का से दूसरे हल्का को कर सकता है।	**स्थानान्तरण** 24—(1) समय-समय पर जारी सरकारी आदेश/स्थानान्तरण नीति के अनुसार मंडलायुक्त अपने विवेक से किसी लेखपाल का स्थानान्तरण मंडल के भीतर और जिले का कलेक्टर जिले के भीतर कर सकेगा और किसी सब-डिवीजन का प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण सब-डिवीजन के भीतर एक लेखपाल सर्किल से दूसरे सर्किल को कर सकेगा:
	परन्तु यह कि लेखपालों का अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण करने से पूर्व मण्डलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि लेखपालों की उनकी तैनाती के जिले से ऐसे स्थानान्तरण के फलस्वरूप किसी जिले में रिक्तियां स्वीकृत पदों की संख्या के 20% से अधिक नहीं होगी:
	परन्तु यह और कि समस्त भरे हुए पदों की संख्या 80% की सीमा से कम है, तो ऐसी स्थिति में रिक्तियां जिले के आर-पार आनुपातिक आधार पर बांट दी जायेंगी।
(2) जब कोई क्षेत्र, सर्वेक्षण, अभिलेख या बन्दोबस्त क्रिया के अधीन हो या धृति के चकबन्दी की क्रिया के अधीन हो तो उपर्युक्त क्रियाओं के अधीन क्षेत्र के बाहर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना, नहीं किया जायेगा।	(2) जब कोई भू-भाग सर्वेक्षण, अभिलेख या बन्दोबस्त क्रिया के अधीन हो या धृति के चकबन्दी की क्रिया के अधीन हो तो उपर्युक्त क्रियाओं के अधीन क्षेत्र के बाहर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, नियुक्ति प्राधिकारी या असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा, यथास्थिति चकबन्दी के अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना, नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2703/One-9–2015-28L.C.-2005, dated October 3, 2015:

No. 2703/One-9–2015-28L.C.-2005

Dated Lucknow, October 3, 2015

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules, 2006.

THE UTTAR PRADESH LEKHPALS SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2015

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Lekhpals Service (Third Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules, 2006, hereinafter referred to as the said rules, in rule 4, *for* existing sub-rule (3) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(iii) The cadre of Lekhpals shall be district wise and the district wise allocation of strength will be made by the State Government:	(iii) The cadre of Lekhpals shall be division wise and the division wise allocation of strength will be made by the State Government:
Provided that—	Provided that–
(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;	(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;
(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.	(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

substitution of rule 10

3. In the said rules, *for* existing rule 10 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Age 10. A candidate for direct recruitment to a post in the service must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised:	**Age** 10. A candidate for direct recruitment to a post in the service must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised:

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

substitution of rule 19

4. In the said rules, *for* existing rule 19, set out in Column-1 below, the rule a set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :—

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Probation 19. (1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of two years.	**Probation** 19. (1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Services Probation Rules, 2013.
(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted: Provided that, save in exceptional circumstance, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.	(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, his services may be dispensed with.
(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.	(3) A probationer whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.
(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.	

Substitution of rule 21

5. In the said rules, *for* existing rule 21 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Seniority 21. The seniority of persons substantively appointed to a post in service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.	**Seniority** 21. The seniority of persons substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time, and the Divisional Commissioner shall be the competent authority for determination of seniority of the cadre.

6. In the said rules, *for* existing rule 24, set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted,* namely :– Substitution of rule 24

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Transfer 24. (1) The Collector of the district may at his discretion transfer a Lekhpal from one sub-division to another sub-division within the District, and the Assistant Collector in-charge of a sub-division may transfer a Lekhpal within the sub-division from one *halqa* to another *halqa*.	**Transfer** 24. (1) The Divisional Commissioner may at his discretion transfer a Lekhpal within the Division and the Collector of the district within the district, and the Assistant Collector in-charge of a sub-division may transfer a Lekhpal within the sub-division from a Lekhpal Circle to another Circle as per Government order/transfer policy issued from time to time: Provided that prior to such inter district transfers the Divisional Commissioner shall ensure that as a consequence of such transfers of Lekhpals from the dis ict of their posting, vacancies in any district shall not exceed 20% of its sanctioned strength: Provided further that in case the overall filled posts is below the threshold of 80% then in such a situation vacancies shall be distributed across the district on a proportionate basis.
(2) When any tract is under survey, record or settlement operation or under the operation for consolidation of holdings, the transfer of a Lekhpal outside the area under the aforesaid operations shall not be made by the appointing authority or the Assistant Collector without consulting the Records or Settlement Officer of the Consolidation, as the case may be.	(2) When any tract is under survey, record or settlement operation or under the operation for consolidation of holdings, the transfer of a Lekhpal outside the area under the aforesaid operations shall not be made by the appointing authority or the Assistant Collector without consulting the Records or Settlement Officer of the Consolidation, as the case may be.

By order,
SURESH CHANDRA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 584 राजपत्र (हि0)–2015–(1368)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 19 सा० राजस्व–2015–(1369)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।